न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश,कोर्ट सं०-7 इटावा।

आर्बीट्रेशन वाद संख्या-52/2023

कामता प्रसाद बनाम भारत संघ आदि।

दिनांक 09.12.2024

पत्रावली प्रार्थनापत्र 26 ग के निस्तारण हेतु नियत है। पूर्व की तिथि पर इस प्रार्थनापत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी जा चुकी है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 26 ग

प्रार्थनापत्र 26 ग आवेदक कामता प्रसाद की ओर से सूची से दाखिल प्रपत्रों को दाखिल करने हेतु इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह प्रश्नगत आर्बीट्रेशन वाद में जो कागजात दाखिल कर रहा है वे मुकदमा से सम्बन्धित व आवश्यक है। वह दायरा के समय उक्त प्रपत्रों को इसलिये दाखिल नहीं कर सका,क्योंकि घर में अन्य बक्सों में कागजात रख गये थे जो पुराने बक्से देखने पर संलग्न कागजात का दिनांक 20.10.2024 को देखा ऐसी स्थिति में संलग्न कागजात का मुकदमा में दाखिल होना अत्यन्त आवश्यक है,यदि कागजात दाखिल करने की अनुमति प्रदान न की गयी तो उसकी हानि होगी और वह साक्ष्य से वंचित हो जायेगा। उपरोक्त आधारों पर आवेदक द्वारा संलग्न सूची से कागजात दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है। कथनों के समर्थन में आवेदक द्वारा स्वंय का शपथप दाखिल किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र 26 ग से सूची से 7 किता प्रपत्र दाखिल किये गये है,जिनको कि पत्रावली में शामिल किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी की ओर से उपरोक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र की विषय वस्तु नियम विरूद्ध है। द्वितीय अपील के स्तर पर दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया जाना चाहिये। साक्ष्य विहित प्राधिकरण के समक्ष दाखिल किया जाना चाहिये। आवेदक कामता प्रसाद ने विहित प्राधिकरण और मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुद्दा उठाया है। इस न्यायालय का दायरा बहुत ही पर्यवेक्षणीय है तथा यह न्यायालय अपील न्यायालय या जिला न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत

आर्बीट्रेशन वाद आर्बीट्रेटर/अपर आयुक्त (प्रशासन)भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पारित अन्तिम आदेश/पंचाट दिनांकित 15.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। यह आक्षेपित आदेश अभिनिर्णय दिनांकित 29.05.2018 के विरूद्ध दाखिल किया गया है,जिसको कि इस अभिनिर्णय दिनांकित 15.12.21 के तहत विधिक माना गया और अभिनिर्णय दिनांकित 29.05.2018 को विधिक मानते हुये उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता न पाते हुये आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त की गयी है।

आवेदक की ओर से जो अभिलेख दाखिल किये जा रहे है उसके सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दिनांक 12.09.2018 को दाखिल किया गया है और तहसीलदार जसवन्त नगर से ये अभिलेख दिनांक 14.09.2018 को निर्गत किये गये है,इसके पूर्व ही अभिनिर्णय दिनांकित 29.05.2018 पारित किया जा चुका था,इसी अभिनिर्णय के विरूद्ध आपत्तिकर्ता/आवेदक द्वारा आर्बीट्रेटर/अपर आयुक्त (प्रशासन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि कि प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख नहीं है कि प्रार्थनापत्र किस विधिक प्राविधान के तहत दिया गया है,फिर भी यदि यह मान लिया जाये कि यह प्रार्थनापत्र आदेश-41 नियम-27 सी०पी०सी० प्रस्तुत है तो यहाँ पर आदेश-41 नियम-27 सी०पी०सी०के प्राविधानों का उल्लेख किया जाना उचित है।

आदेश-41 नियम 27 सी०पी०सी०में यह प्राविधान है कि-अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी,पेश करने के हकदार नहीं होंगे,किन्तु यदि-

(क) उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गयी है,ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इंकार कर दिया है जो ग्रहण किया जाना चाहिये था अथवा।

(क क) वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है यह सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सकता था जब वह डिक्री पारित की गयी थी जिसके विरूद्ध अपील की गयी है,अथवा

(ख) अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किये जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वंय निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिये या किसी अन्य सारवान हेतुक के लिये करें।

तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा का किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिये अपील न्यायालय अनुज्ञा दे देता है वहाँ न्यायालय ऐसे साक्ष्य के ग्रहण किये जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

उपरोक्त प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य उपरोक्त आधारों पर ही लिया जा सकेगा। आवेदक का यह कहना कि यह कागजात पुराने बक्से में रखे गये थे जिसे दिनांक 20.10.24 को देखा गया,यह अत्यन्त भ्रामक एवं विश्वास किये जाने योग्य नहीं है,जबकि इस सम्बन्ध में एवार्ड वर्ष 2018 में ही पारित किया जा चुका है एवं आक्षेपित आदेश वर्ष 2021 में पारित किया गया है। प्रार्थनापत्र 26 ग में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि इन कागजातों का दाखिल करना क्यों आवश्यक है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था हरियाणा स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाम मैसर्स कार्व मैनफैक्चरिंग कं० AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 56 यहाँ पर विचारणीय है,जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि–

इस नियम के अन्तर्गत असावधानी या समुचित विधिक परामर्श का अभाव अतिरिक्त साक्ष्य लिये जाने का कोई आधार नहीं हो सकता। यह''सारवान कारण'' में नहीं आता ।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 26 ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 26 ग निरस्त किया जाता है। आपत्ति तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

पत्रावली दिनांक 18.12.2024 को वास्ते बहस पेश हो। नियत तिथि पर पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हो।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या–7
इटावा।
JO Code No–UP1546

Digitally signed by ALOK KUMAR
SRIVASTAVA
Date: 2024.12.13 16:47:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court